न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—265/2019/223

1. ओमप्रकाश पुत्र मोतीराम, जाति कुमावत, निवासी गुढ़ाबैरसल, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती सरजूदेवी पुत्री मोतीराम, पत्नि भंवरलाल, जाति कुमावत, निवासी गुढ़ाबैरसल, हाल निवासी न्यू कॉलोनी, फुलेरा, एस0बी0आई0 बैंक के पास फुलेरा, तह0 सांभर, जिला जयपुर ।
2. आशादेवी पत्नी निरंजनलाल, जाति कुमावत, निवासी गुढ़ाबैरसल, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
3. कालूराम पुत्र स्व0 लालाराम, जाति कुमावत, निवासी गुढ़ाबैरसल, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
4. कानाराम पुत्र स्व0 लालाराम, जाति कुमावत, निवासी गुढ़ाबैरसल, तहसील मोजमाबाद, जिला जयपुर ।
5. शंकरलाल पुत्र स्व0 लालाराम, जाति कुमावत, निवासी गुढ़ाबैरसल, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
6. भंवरलाल पुत्र स्व0 लालाराम, जाति कुमावत, निवासी गुढ़ाबैरसल, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
7. बनवारी लाल पुत्र स्व0 लालाराम, जाति कुमावत, निवासी गुढ़ाबैरसल, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
8. तीजादेवी पत्नि स्व0 लालाराम, जाति कुमावत, निवासी गुढ़ाबैरसल, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
9. जड़ाव पुत्री स्व0 लालाराम, जाति कुमावत, निवासी गुढ़ाबैरसल, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
10. धन्ना पुत्री स्व0 लालाराम, जाति कुमावत, निवासी गुढ़ाबैरसल, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
11. संतोष पुत्री स्व0 लालाराम, जाति कुमावत, निवासी गुढ़ाबैरसल, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
12. सुमित्रा पुत्री स्व0 लालाराम, जाति कुमावत, निवासी गुढ़ाबैरसल, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
13. छगनलाल पुत्र स्व0 गणेश, जाति कुमावत जाति कुमावत, नि0गुढ़ाबैरसल तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर । **(मृतक) जरिये वारिसानः—**

    13/1— श्रीमती कोयली देवी पत्नी स्व0 छगनलाल,

    13/2— मोहनलाल पुत्र स्व0 छगनलाल,

    13/3— सोहनलाल पुत्र स्व0 छगनलाल,

    13/4— संतोष कुमार पुत्र स्व0 छगनलाल,

    13/5— मनोहरलाल पुत्र स्व0 छगनलाल,

    13/6— विजयलाल पुत्र स्व0 छगनलाल,
    समस्त जाति कुमावत, निवासी गुढ़ाबैरसल, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

    13/7— श्रवणलाल पुत्र स्व0 छगनलाल, जाति कुमावत, नि0 गुढ़ाबैरसल तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

    13/8— विमलादेवी पुत्री स्व0 छगनलाल पत्नी केसरलाल, जाति कुमावत नि0 गुढ़ाबैरसल, हाल नि0 हिरनोदा, तह0 फुलेरा, जिला जयपुर।

    13/9— कंचन देवी पुत्री स्व0 छगनलाल पत्नी मानमल, जाति कुमावत,

निवासी गुढ़ाबैरसल, हाल निवासी रामनगर, सोडाला, जयपुर।

14. मेघराज पुत्र स्व0 गणेश, जाति कुमावत, निवासी गुढ़ाबैरसल, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर । **(मृतक) जरिये वारिसानः—**
14/1— भंवरलाल पुत्र स्व0 मेघराज,
14/2— बाबूलाल पुत्र स्व0 मेघराज,
14/3— चिरंजीलाल पुत्र स्व0 मेघराज,
14/4— प्यारेलाल पुत्र स्व0 मेघराज,
14/5— उर्मिला पुत्री स्व0 मेघराज,
समस्त जाति कुमावत, निवासी गुढ़ाबैरसल, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

15. हनुमान सहाय पुत्र स्व0 नोन्दा, जाति कुमावत, निवासी गुढ़ाबैरसल, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर । **(मृतक) जरिये वारिसानः—**
15/1— जितेन्द्र पुत्र स्व0 हनमानसहाय,
15/2— प्रवीण पुत्र स्व0 हनुमान सहाय,
15/3— अनिता पुत्री सव0 हनुमान सहाय,
15/4— मिनु पुत्री स्व0 हनुमान सहाय,
15/5— सरिता पुत्री स्व0 हनुमान सहाय,
समस्त जाति कुमावत, नि0 गुढाबैरसल, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर।

16. गोपाल लाल पुत्र स्व0 नोन्दा, जाति कुमावत, निवासी गुढ़ाबैरसल, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

17. मदनलाल पुत्र स्व0 नोन्दा, जाति कुमावत, निवासी गुढ़ाबैरसल, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

18. बाबूलाल पुत्र स्व0 नोन्दा, जाति कुमावत, निवासी गुढ़ाबैरसल, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

19. प्रेम पुत्र स्व0 नोन्दा, जाति कुमावत, नि0 गढ़ाबैरसल, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

20. सावित्री पुत्र स्व0 नोन्दा, जाति कुमावत, नि0 गुढ़ाबैरसल, तह0मौजमाबाद जिला जयपुर । **(मृतक) जरिये वारिसानः—**
20/1— महेश कुमार पुत्र रामधन (स्व0सावित्री देवी) जाति कुमावत, नि0 राबड़ो का बास तन मण्डाभीमसिंह, तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर ।
20/2— सुरेश कुमार पुत्र रामधन (स्व0सावित्री देवी) जाति कुमावत, नि0 राबड़ों का बास, तन मण्डाभीमसिंह, तह0 किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर ।
20/3— अनिता पुत्री रामधन (स्व0सावित्री देवी) पत्नि चिरंजीलाल, नि0 खेडीराम, तह0 सांभरलेक, जिला जयपुर ।
20/4— पुष्पादेवी पुत्री रामधन (स्व0सावित्री देवी) जाति कुमावत, पत्नि भैरूराम, नि0 खेडीराम, तह0 सांभरलेक, जिला जयपुर ।
20/5— संतोष पुत्री रामधन (स्व0सावित्री देवी) जाति कुमावत, पत्नि भागचंद, नि0 नांवा, थाना नांवा, जिला नागौर ।
20/6— बबली पुत्री रामधन (स्व0सावित्री देवी) जाति कुमावत, पत्नि राजेन्द्र, निवासी जोबनेर, तह0 सांभरलेक, जिला जयपुर ।

21. रूकमा पुत्र स्व0 नोन्दा, जाति कुमावत, नि0 गुढ़ाबैरसल, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

22. किशनलाल पुत्र स्व0 भौमराम, जाति कुमावत, निवासी गुढ़ाबैरसल, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

23. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 मोतीराराम, जाति कुमावत, निवासी गुढ़ाबैरसल, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

24. सरजू देवी पुत्री स्व0 मोतीराम, जाति कुमावत, निवासी गुढ़ाबैरसल, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर हाल नि0 न्यू कॉलोनी फुलेरा, एस0बी0बी0जे0 बैंक के पास, फुलेरा, जिला जयपुर ।

25. सीताराम पुत्र स्व0 महादेव, जाति कुमावत, निवासी गुढ़ाबैरसल, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
26. नानूराम पुत्र स्व0 सुखा, जाति कुमावत, नि0 गुढ़ाबैरसल, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
    26/1– श्रीमती सरजू पत्नी नानूराम, जाति कुमावत, नि0 गुढ़ाबैरसल, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
    26/2– रामविलास पुत्र नानूराम, जाति कुमावत, निवासी गुढ़ाबैरसल, तह मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
    26/3– अशोक कुमार पुत्र स्व0 नानूराम, जाति कुमावत, नि0 गुढ़ाबैरसल तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
    26/4– रामअवतार पुत्र स्व0 नानूराम, जाति कुमावत, नि0 गुढ़ाबैरसल तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
    26/5– कृष्णअवतार पुत्र स्व0 नानूराम, जाति कुमावत, नि0 गुढ़ाबैरसल तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
27. राधेश्याम पुत्र स्व0 मांगीलाल, जाति कुमावत, निवासी गुढ़ाबैरसल, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
28. रामेश्वर पुत्र स्व0 मांगीलाल, जाति कुमावत, निवासी गुढ़ाबैरसल, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
29. बंशीलाल पुत्र स्व0 मांगीलाल, जाति कुमावत, निवासी गुढ़ाबैरसल, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
30. जगदीश प्रसाद पुत्र स्व0 मांगीलाल, जाति कुमावत, निवासी गुढ़ाबैरसल तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
31. गीता देवी पुत्री स्व0 मांगीलाल, जाति कुमावत, निवासी गुढ़ाबैरसल, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
32. हीरा देवी पत्नी स्व0 मांगीलाल, जाति कुमावत, निवासी गुढ़ाबैरसल, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
33. तहसीलदार, मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान सहायक कलक्टर, दूदू दिनांक 14.6.2017 अंतर्गत वाद संख्या 440/1913 .

उपस्थितः–

1. श्री आर0एस0 खंगारोत, वकील अपीलांट ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 से 32 अनुपस्थित.
3. रेस्पो0 संख्या 13/9, 20/5 एवं 20/6 के नाम हजफ ।

निर्णय

दिनांकः– 20.11.2020

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर, दूदू के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.6.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण/रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 22 ने अपीलांट एवं शेष रेस्पो0 संख्या 23 लगायत 32 के विरूद्ध अधी0न्याया0 के समक्ष वाद बाबत् इस्तकरारहक, तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया

कि आराजी खसरा नंबर हाल 261 लगायत 266, 268 लगायत 304, 317 कुल किता 44 कुल रकबा 2222.0700 है0 साबिक आराजी खसरा नंबर 76 मि0 76, 79 मि0, 76, 78, 79 मि0, 76, 77, 78 मि0, 82, 83 मि0, 83, 84 मि0, 84, 85 मि0, 85 मि0, 85 मि0, 83, 84 मि0, 85 मि0 82, 83, 85 मि0, 85 मि0, 81, 82, 85 मि0, 81, 82 मि0 81 मि0, 81 मिन, 85 मि0 81, 85 मि0, 85 मि0, 100, 101 मि0, 101 मि0 101 मिन, 100, 101 मि0, 100 मि0 100 मि0 100 मि0 100 मि0 100 मि0, 86, 97, 98, 100 मि0 86, 100 मि0, 86 मि0 86 मि0, 86 मि0 86, मि0, 86 मि0 93 मि0 वाके गुढ़ाबैरसल, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित है जो वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जे काश्त की आराजियात है जिसके वादीगण संख्या 1 से 12 का 1/4 हिस्सा, वादीगण संख्या 13 से 20 का 1/4 हिस्सा है । प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 का 1/4 हिस्सा, 3 बीधा 5 बिस्वा आराजी छोड़कर तथा प्रतिवादीगण संख्या 4 से 10 का 1/4 हिस्सा है और मौके पर इसी प्रकार काबिज है तथा हिस्से अनुसार लगान जमा कराते आ रहे है । वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है जिनकी विवादित आराजी के अलावा और भी पैतृक आराजियात थी । पक्षकारान का बुजुर्ग गिरधारी थी जिसके पांच लड़के रतन, रामदयाल, गणेश, भौमा, सुखदेव व रतन के बदले सुखा के मांगीलाल व नानू जायंदा लड़के थे । रतन, बलदेव व सुखा के साथ अन्य पैतृक आराजी का पर्चा बरवक्त सेटलमेंट रामदयाल, गणेश, भौमा पि0 गिरधारी, मांगू पुत्र सुखा, कल्याण पुत्र बलदेव, जाति कुम्हार बहिस्सा बराबर 1/5 का आया और इसी प्रकार स्वंय का उनके स्वर्गवास के बाद उनके वारिसान काबिज काश्त रहे । प्रतिवादीगण संख्या 11 कल्याण ने एक वाद उनवानी कल्याण वगै0 बनाम महादश वगै0 नंबर 369/92 विवादित आराजियात के अलावा अन्य पैतृक आराजी का प्रस्तुत किया जो पक्षकारान द्वारा दिनांक 26.7.1992 को आपसी राजीनामा के आधार पर दिनांक 25.9.2002 को डिक्री किया गया और डिक्री की पालना में कल्याण के कुल आराजियात में से 1/5 हिस्से की आराजी साबिक खसरा नंबर 169, 202, 205, 100, 86 हाल खसरा नंबर 305, 629 से 633, 845, 848, 2203/844, 2209/288, 2211/290 की खातेदारी लगा कर कल्याण की खतौनी संख्या अलग कर दी लेकिन वादपत्र के मद नंबर 1 में वर्णित आराजी जो वादीगण व प्रतिवादीगण की 1/4, 1/4 हिस्से की है में वादीगण संख्या 1 लगायत 20 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 1 का 3/20 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 10 का 1/5 हिस्सा हल्का पटवारी द्वारा गलत दर्ज कर दिया गया जबकि विवादित आराजियात में वादीगण संख्या 1 से 12 का 1/4 हिस्सा, वादीगण संख्या 13 से 20 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादगण संख्या 1 से 3 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 से 10 का 1/4 हिस्सा दर्ज होना चाहिये था । वादीगण व प्रतिवादीगण मौके पर अपने–अपने हिस्से पर आपसी सहमति से विभाजन कर मौके पर काबिज काश्त है । प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के पास 1/4 हिस्से में 3 बीघा 5 बिस्वा आराजी कम है क्योंकि कल्याण को जो आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा दी गई थी उसमें प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने 3 बीघा 5 बिस्वा शामलाती आराजी में से दी थी तथा वादीगण व प्रवितादीगण संख्या 4 से 10 ने अपनी अलग–अलग खातेदारी में से दी थी । इसलिये प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के हिस्से में 1/4 हिस्से में 3 बीघा 5 बिस्वा आराजी कम है । रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 4 से 10 के पास बराबर–बराबर 1 बीघा 2 बिस्वा कब्जे में है । वादीगण ने प्रतिवादीगण को विवादित आराजी में गलत हिस्से को दुरूस्त करवाकर 1/4, 1/4 हिस्सा लगवाने व तकासमा के लिए कई बार कहा

लेकिन प्रतिवादीगण टालम–टोल करते रहे तथा बाद में करवाने का आश्वासन देते रहे । दिनांक 8.2.2011 को वादीगण ने हल्का पटवारी से नकल जमाबंदी लेकर प्रतिवादीगण को हिस्सा 1/4 , 1/4 लगवाने व तकासमा करवाने को कहा तो प्रतिवादीगण इंकार हो गये । इस कारण यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 14.6.2017 को वादीगण का वाद डिक्री करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने वादीगण का वाद डिक्री किए जाने में कानूनी भूल की है क्योंकि अपीलांट एवं रेस्पो0 के हिस्से की जो घोषणा की गई है उसका वास्तविक एवं कानूनी आधार पर न्यायालय ने गौर नहीं कर केवल साजिशी तौर पर हस्तलिखित वादी के अधिवक्ता द्वारा राजीनामा स्वीकार करने के पश्चात् हिस्सा दर्ज किया गया था । वादीगण के वाद में अपीलांट के हिस्से तक आंशिक रूप से वाद गलत डिक्री किया गया है । वादीगण ने अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट का जो सजरा पेश किया है वह अपूर्ण है जिसकी जानकारी अपीलांट ने अपने अधिवक्ता को दी थी किन्तु अधिवक्ता की गैर जिम्मेदारी की वजह से अपीलांट का हक हिस्सा का ध्यान नहीं रखा गया एवं न ही अधी0न्याया0 में पेश किया गया । राजीनामा प्रस्तुति के पश्चात् गैर मौजूदगी में भाषा जोड़कर अपीलांट को उसके हिस्से से वंचित कर दिया गया है । अपीलांट ने अपने हितों के लिए अधिवक्ता नियुक्त किया था जिसकी लापरवाही से बाद में दर्ज किया गया । अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 1 का सजरा खानदान के अनुसार मोतीलाल के वारिस ओमप्रकाश, शांतिदेवी, सरजूदेवी, झमरीदेवी व कौशल्य है । अपीलांट की बहनों में से रेस्पो0 के अलावा शेष बहनों ने अपने हिस्से का हक त्याग अपीलांट के पक्ष में कर दिया था जिसकी जानकारी अपने अधिवक्ता को दे दी थी और राजस्व रिकार्ड में हकत्याग के इंद्राज के पश्चात् ही हिस्सा अपीलांट 4/10 दर्ज किया गया था एवं रेस्पो0 का हिस्सा 1/10 दर्ज किया गया था । रेस्पो0 के हक में अपीलांट के हिस्से में से बिना घोषणा व बिना किसी दादरसी के मातहत अदात ने 1/2, 1/2 हिस्सा बिना किसी आधार के दर्ज कर दिया जबकि मातहत अदात में अपीलांट व रेस्पो0 दोनों ही प्रतिवादीगण के रूप में अवस्थित रहे है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट ने अपने अधिवक्ता पर विश्वास कर हस्ताक्षर कर दिये जिसके पश्चात् हिस्से की ईबारत दर्ज की गई थी जबकि अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय की जमाबंदी में इंद्राज की जानकारी नहीं हो पायी । अपीलांट ने अपनी आराजी पर ऋण प्राप्त करने के लिए नकल प्राप्त की तब गलत हिस्से के इंद्राज की जानकारी हुई । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री के द्वारा अपीलांट का दर्ज हिस्सा 4/10 को कम कर दिया जबकि रेस्पो0 का कोई घोषणा का दावा नहीं था एवं न ही अपीलांट ने रेस्पो0 को देने के लिए न्यायालय के समक्ष अलग से लिखकर यह माना हो कि अपीलांट का हिस्सा गलत है। अधी0न्याया0 मे वाद के विचाराधीन रहते हुए पक्षकारान के मध्य वाहमी बैठकर संपूर्ण आराजी के विभाजन बाबत् राजीनामा लिखित में हुआ था जिसके अनुसार ही अधी0न्याया0 में राजीनामा पेश हुआ था किन्तु अधी0न्याया0 में पेश हुए राजीनामा में बाहमी राजीनामा दिनांक 25.12. 2016 के अनुसार दर्ज होने से रह गया, जबकि बाहमी राजीनामा के पैरा संख्या 7 में दर्ज आराजी खसरा नंबर 266, 268, 280, 281, 282, 283,

284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291 कुल किता 14 कुल रकबा 5.5400 है0 में अपीलांट का हिस्सा 4/10 व रेस्पो0 सरजूदेवी का हिस्सा 1/10 व शेष 1/2 हिस्सा रेस्पो0 संख्या 25 सीताराम का दर्ज किया गया था इसी अनुरूप में अधी0न्याया0 में राजीनामा में दर्ज होना था लेकिन साजिशी तौर पर राजीनामा तस्दीक होने के बाद राजीनामा में जोड़ी गई इबारत से अपीलांट व रेस्पो0 का 1/2, 1/2 हिस्सा गलत दर्ज कर दिया गया जो निर्णय में दुरूस्त किये जाने योग्य है । रेस्पो0 ने अपने हक में दर्ज किये गये गलत हिस्से 1/2 का रेस्पो0 संख्या 2 के हक में दान पत्र दिनांक 22.7.2019 को तहरीर करवा दिया जिसका रेस्पो0 सरजूदेवी को कोई हक व अधिकार नहीं है । अधी0न्याया0 के समक्ष वादी के अधिवक्ता ने साजिश करके राजीनामा प्रस्तुति के बाद इन्द्राज करवाकर हिस्सा गलत दर्ज करवाया है जिसके आधार पर पारित निर्णय व डिक्री निरस्तनीय है । यह भी कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष वाद बंटवारा बाबत् भी पेश किया गया था किन्तु अधी0न्याया0 ने बंटवारे की डिक्री पारित नहीं की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 14.6.2017 को रेस्पो0 के हिस्से 1/10 व अपीलांट के हिस्से 4/10 तक निर्णय में संशोधन मुताबिक बाहमी राजीनामा दिनांक 25.12.2016 के अनुसार किये जाने के आदेश प्रदान करावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट ने राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी की नकल कृषि ऋण हेतु दिनांक 4.7.2019 को प्राप्त की तब गलत हिस्सा की जानकारी हुई तत्पश्चात् निर्णय व डिक्री की नकल प्राप्त करते समय दान पत्र की जानकारी होने पर नकल लेकर अपील प्रस्तुत की गई है । अपील पेश करने में जो विलंब हुआ है वह अपीलांट द्वारा जानबूझकर नहीं हुआ है बल्कि जानकारी के अभाव में हुआ है जो क्षमा किये जाने योग्य है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. हमनें विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांट ने अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.6.2017 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष अपील दिनांक 9.8.2019 को पेश की है जो लगभग 25 माह के विलंब से पेश की गई है । यद्यपि अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये गये है वे संतोषप्रद नहीं है क्योंकि अपीलांट एवं उनके अधिवक्ता स्वंय निर्णय व डिक्री की दिनांक को अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित थे किन्तु हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब न्यायहित क्षम्य किया जाकर विलंब माफ किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

7. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 14.6.2017 को वादीगण का वाद राजीनामे दिनांक 8.3.2017 के आधार पर डिक्री किया है । अपीलांट का अपील में मुख्य कथन रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकारान द्वारा राजीनामा दिनांक 8.3.2017 प्रस्तुत किया गया है जिसमें राजीनामा प्रस्तुति के पश्चात् गैर मौजूदगी में भाषा जोड़कर अपीलांट को उसके हिस्से से वंचित कर दिया गया है। अधी0न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध राजीनामा दिनांक 8.3.2017 का अवलोकन किया गया। उक्त राजीनामा के पृष्ठ संख्या 3 पर राजीनामे अनुसार वादीगण संख्या 13 लगायत 17, 18/1 लगायत 18/6, 19 एवं 20 के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 261 में से 0.1500 है0, खसरा नंबर 262 में से रकबा 0.1800

है0, 272 रकबा 1.6000 है0, खसरा नंबर 273 रकबा 1.4400 है0, खसरा नंबर 301 में से 2.0200 है0, खसरा नंबर 303 रकबा 0.2800 है0 एवं खसरा नंबर 304 रकबा 0.1000 है0 आराजियात रखी गई थी । उक्त वर्णित हिस्से के नीचे हस्तलिपि में उपरोक्त खसरा नंबर में वादीगण संख्या 13 लगायत 17, 18/1 से 18/6 व 19 का 1/2 हिस्सा व वादी संख्या 20 का 1/2 हिस्सा रखने की इबारत जोड़ी गई है । इसी प्रकार राजीनामा के पृष्ठ संख्या 4 पर प्रतिवादगण संख्या 1 से 3 के हिस्से व बंटवारे की आराजी संख्या 266, 268, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291 रखी गई थी परन्तु बाद हस्तलिपि अनुसार खसरा नंबरान में प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/2 हिस्सा की इबारत जोड़ी गई है । राजीनामा के पृष्ठ संख्या 4 पर ही प्रतिवादी संख्या 4/1 लगायत 4/5 के हिस्से में रखी गई आराजी खसरा नंबरान में कांट–छांट की जाकर खसरा नंबर 278 रकबा 1.0200 है0 एवं खसरा नंबर 279 रकबा 0.9800 है0 हस्तलिपि में लिखा गया है । राजीनामें के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि राजीनामा दिनांक 8.3.2017 में उक्तानुसार हस्तलिपि से इबारत जोड़ी जाकर राजीनामें मे कांट–छांट की गई है जिससे उक्त राजीनामा प्रथमदृष्टया संदेहास्पद प्रतीत होता है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलांट ने अपील में अनुतोष बाहमी बंटवारा दिनांक 25.12.2016 को आधार मानकर उपरोक्त अपील को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है जबकि अधी0न्याया0 की पत्रावली में दिनांक 25.12.2016 का कोई बाहमी बंटवारा प्रस्तुत नहीं हुआ है एव ंना ही अधी0न्याया0 द्वारा तस्दीक किया गया है । इस कारण बाहमी बंटवारे के आधार पर अपील स्वीकार नहीं की जा सकती है । राजीनामा दिनांक 8.3.2017 को हुआ परन्तु उक्त राजीनामे को तस्दीक करते समय अधी0न्याया0 द्वारा भूमिधारी तहसीलदार, मौजमाबाद प्रतिवादी संख्या 11 के रूप में पक्षकार दर्ज है, जिनकी राजीनामे में सहमति नहीं ली गई है । इस कारण भी राजीनामे की जांच करवाया जाना आवश्यक है क्योंकि बंटवारे के वादपत्र में तहसीलदार को सुना जाना आवश्यक है ।

8. हम उक्त राजीनामें के संदर्भ में प्रकरण का अधीनस्थ न्यायालय से पुनः परीक्षण कराया जाना न्यायोचित समझते है तथा अधी0न्याया0 के समक्ष धारा 53 राज0काश्त0अधि0 के अंतर्गत वाद प्रस्तुत हुआ है परन्तु वर्तमान प्रकरण में बंटवारे के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपीलांट अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान सहायक कल्क्टर, दूदू द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.6.2017 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे राजीनामा दिनांक 8.3.2017 की जांच कर, उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में पुनः बंटवारे की डिक्री पारित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 20.11.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,

अजमेर